

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.- 8 / ज.स.(नि.)ल.सि.दु.-07 / 2009 :-

राँची, दिनांक:-

आदेश

श्री गुलाम हैदर, तदेन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरिडीह के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं. 2882 दिनांक 28.05.2013 द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के अतर्गत नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

2. श्री हैदर तदेन कार्यपालक अभियंता के दिनांक 31.01.2016 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उपरोक्त नियम 55 के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 बी. में सम्परिवर्तित किया जाता है।

ह0/-

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-

राँची,

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल,

गिरिडीह/ श्री गुलाम हैदर तदेन कार्यपालक अभियंता (सेवानिवृत्त) पता- 301/B,

Royal court Apartment, Near Passport Sewa Kendra Ashiyana Road Digha road p.o- B.U.

College, Patna- 800014 (Bihar) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-

1782

राँची,

दिनांक:- 16-03-16

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव (प्र.) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मु. अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vinay
16/03/2016

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव।